

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
उप सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर नियुक्त राजस्व अधिकारी का सेवापुस्त संघारित करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय स्मार पत्रांक-672(3), दिनांक-06.04.2026, विभागीय पत्रांक-189(3), दिनांक-03.02.2026 एवं विभागीय पत्रांक-639(3), दिनांक-14.08.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार सेवा संहिता के नियम-287 से 299 तक में राज्य के सरकारी सेवकों के लिए सेवा-पुस्त का गठन, संधारण एवं इसके अभिरक्षण के संबंध में प्रावधान निरूपित किये गये हैं। बिहार सेवा संहिता के नियम-290 के अनुसार -“सरकारी सेवक के आधिकारिक (पदीय) जीवन का हरेक पग उसकी सेवा-पुस्त में अवश्य अभिलिखित होना चाहिए और हर प्रविष्टि उसके कार्यालय के प्रधान या उसके अधीन किसी वरीय राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अथवा यदि वह स्वयं किसी कार्यालय का प्रधान हो तो उनके बिनांतर श्रेष्ठ पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होनी चाहिए। कार्यालय का प्रधान यह अवश्य देख लेगा कि सभी प्रविष्टियाँ यथावत की गई हैं और अभिप्रमाणित है तथा सेवापुस्त में कुछ मिटाया नहीं गया है या दुबारा उपर से लिखा नहीं गया है, सभी शुद्धियाँ साफ-साफ की गई हैं और उचित रूप से अभिप्रमाणित हैं।”

2. बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्त राजस्व अधिकारियों की मूल सेवापुस्त का गठन जिला स्तर से किये जाने का निर्णय लिया गया है। संबंधित समाहर्ता अपने जिले में पदस्थापित राजस्व अधिकारियों की मूल सेवापुस्त का गठन कराते हुए उसमें क्रमानुसार आवश्यक प्रविष्टियाँ यथा-नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदस्थापन, वेतन सत्यापन एवं आवश्यक सभी प्रविष्टियाँ (नियुक्ति से लेकर अद्यतन) दर्ज करवाएंगे। तदालोक में उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा बिहार राजस्व सेवा के अधीन राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारियों का मूल सेवापुस्त संघारित कर विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, परन्तु याचित पत्रों के आलोक में अबतक सेवापुस्त संघारित कर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतएव उपरोक्त के आलोक में पुनः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर बिहार राजस्व सेवा के अधीन नव नियुक्त राजस्व अधिकारियों का मूल सेवापुस्त संघारित कराते हुए विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अविनाश कुमार)
उप सचिव

ज्ञापक :- 03/स्था0 रा0से0 (वेतन पूर्जा)-77/2023-.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

ई-मेल

प्रतिलिपि :- सभी अपर समाहर्ता एवं सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(अविनाश कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :-03/स्था0 रा0से0 (वेतन पूजा)-77/2023-.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- सचिव, के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(अविनाश कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :-03/स्था0 रा0से0 (वेतन पूजा)-77/2023-.....1613.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-05/10/23
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सभी संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेब-साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(अविनाश कुमार)
उप सचिव